B.A. Part I

Paper - II

Macro Economics

Topic - International Monetory fund, IMF
(अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)

मुद्रा कोष का प्रशासन एंव संगठन (Administration and Organisation of IMF)

मुद्रा कोष के लिए एक गवर्नरों का बोर्ड (Board of Governors) तथा दूसरा संचालकों का बोर्ड (Board of Directors) है। गवर्नरों के बोर्ड (Board of Governors) में सदस्य देश 5 वर्ष की अवधि के लिए एक गवर्नर नियुक्त करता है। सदस्य देश एक स्थानापन्न गवर्नर (Alternate Governor) भी नियुक्त कर सकता है जो गवर्नर की अनुपस्थिति में बोर्ड की बैठक में भाग ले सकता है। इस बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। सदस्य देशों के कोटों में संसोधन, नये सदस्यों के प्रवेश, संचालकों (Directors) के चुनाव तथा सदस्य देशों की

मुद्राओं की समता दरों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार इसी बोर्ड को प्राप्त है।

कोष दिन - प्रतिदिन के कार्य का संचालन करने के लिए एक संचालक बोर्ड (Executive Board) है; जिसमें पाँच स्थायी संचालक (Executive Directors) उन देशों द्वारा नामजद किये जाते हैं जिनके कोटे सबसे अधिक होते हैं। इस समय अधिकतम कोटा वाले देश ये हैं: अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस तथा ब्रिटेन। एक संचालक सऊदी अरब द्वारा भी नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में अन्य 18 संचालक सदस्य देशों के अलग-अलग समूहों द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार संचालक बोर्ड के सदस्यों की वर्तमान संख्या 24 है। संचालक बोर्ड अपनी बैठकों का आयोजन कोष के वाशिंगटन (Washington) स्थित कार्यालय पर ही करता है।

संचालक बोर्ड का अध्यक्ष प्रबन्ध संचालक (Managing Director) कहलाता है, और वह मुद्रा - कोष (IMF) का मुख्याधिकारी होता है। उसकी सहायता के लिए एक सहायक (Deputy) प्रबन्ध संचालक भी होता है। प्रशासन के दृष्टिकोण से कोष का संगठन विभिन्न भागों में ~~बंटा~~ बँटा हुआ है।

Scanned by TapScanner

प्रत्येक विभाग कोष के एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में कार्य करता है। संचालक बोर्ड नीति तथा प्रशासन सम्बन्धी अनेक कार्य करता है। सदस्य देशों की विनिमय-दरों पर निगरानी रखता है, सदस्य देशों को वित्तीय सहायता देता है, उनसे परामर्श करता है तथा महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से बीस की समिति (Committee of 20) के सुझाव पर 1974 में एक अन्तरिम समिति (Interim Committee) स्थापित की गयी थी। इसे सितम्बर 1999 से अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (International Monetary and Financial Committee - IMFC) कहा जाने लगा है। इस समिति के सदस्य कोष के गवर्नर, मन्त्री अथवा इसके बराबर के पद के हैं। प्रत्येक सदस्य देश जो एक संचालक नियुक्त करता है, इस प्रकार संचालक बोर्ड के समान अन्तरिम समिति के सदस्यों की संख्या भी 24 है। कोष का प्रबन्ध संचालक तथा 24 संचालक भी समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। इस समिति का कार्य गवर्नरों के बोर्ड को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के प्रबन्ध तथा परिवर्तन के सम्बन्ध में सलाह देना है।

Scanned by TapScanner

1974 में ही एक विकास समिति (Development committee) भी स्थापित की गयी है जिसका कार्य विकासशील देशों को वास्तविक साधनों के हस्तान्तरण (transfer of real resources to developing countries) से सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है और कोष के गवर्नरों तथा विश्व बैंक को सुझाव देना है। इस समिति में मुद्रा-कोष के प्रबन्ध तथा परिवर्तन के सम्बन्ध में सलाह देना है। इस समिति में मुद्रा-कोष के गवर्नरों के बोर्ड के अतिरिक्त विश्व बैंक के गवर्नरों के बोर्ड से भी सदस्य लिए गए हैं।

Munmun Choudhary
Asst. Prof.
Department of Economics
A. S. College Bikramganj

Scanned by TapScanner